



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फ़ैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



File no- CHG/DNT/Fe-30

MINE CODE 30CHG03002

दिनांक - 11.01.2023

प्रेषित,

श्री डी. के. मोहंती, निदेशक
सर्वश्री एन.एम.डि. सि, लिमिटेड
कैसल हिल्स, मसाब टैंक,
हैदराबाद, तेलंगाना- 500028

श्री विनयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक (खान)
सर्वश्री एन.एम.डि.सि, लिमिटेड,
बायोम, किरांदुल कॉम्प्लेक्स, किरांदुल, जिला: दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़ - 494556

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - किरांदुल, तहसील - बड़े बचेली, और जिला - दंतेवाड़ा, में स्थित आपकी Deposit -11 Iron Ore Mines, (क्षेत्रफल 874.924 हेक्टर) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय,

आपके उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 07.12.2022 को श्री देवदुर्लभ दाश, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री एस.के.कोचर, महाप्रबंधक (खान), की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	<p>The mining operations are required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by Indian Bureau of Mines. However, the mining operations have not been observed carried out in accordance with Review & updation of Mining Plan approved vide letter No. Dantewada/Iron/Sl.No.- 1215/2019/Raipur-546 dated 11.12.2019 for the period from 2020-21 to 2024-25 to the extent indicated below:</p> <p>(i) Exploration has not been carried out as approved in Review of Mining Plan. In the year 2020-21, against approval of 99 boreholes, only 74 boreholes reported carried out. Further in 2021-22, against approval of 113 boreholes, drilling of only 68 boreholes has been reported carried out.</p> <p>Violation in this respect was also pointed out vide this office letter dated 11.01.2022 for non-compliance of exploration proposals as per approved Review of Mining Plan during the year 2020-21. Yet, the same has not been complied with so far.</p> <p>(ii) In Deposit 11 C, a new waste dump has been developed adjacent to existing sub-grade stack on eastern side of the ML area without such approval in Review of Mining Plan.</p> <p>(iii) Garland drain of 2000 mtrs and retaining wall of 200 mtrs were proposed during the year 2021-22 around waste dump, against which no work has been done.</p> <p>Hence, the above are observed to be against systematic and scientific development of mines and protection of environment.</p>

(2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(3) नियम 11(1) के नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत :-

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को दें।

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ ।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 –
Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर